

राजस्थान सरकार  
राजस्व श्रृंग-6 विभाग

1. जमस्ती विभागीय आयुक्त ।
2. जमस्ती जिला कलेक्टर ।

परिपत्र

दस्तावेज:- एफ. 6835 राज-6/2001/20

जयपुर, दिनांक: 22.11.01


विषय:- राजस्व रिकार्ड में छेदेदारो के रूप में दर्ज भूमि को  
निर्णीत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

दुम्गा इस कार्यालय के मौरात्र दस्तावेज: एफ. 6835 राज-6/2001/10  
दिनांक 23.10.2001 का अवलोकन करें । जिसमें अन्तर्गत विना आर्टन के जामेय  
में दर्ज गैर छेदेदारो को छेदेदारो अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए  
गए थे ।

जिला कलेक्टर अजमेर ने यह अप्पत कराया है कि उनके जिले में कातिमय  
ग्रामो में राजस्व रिकार्ड में कातिमय भूमि छेदेदारो में दर्ज है । इस सम्बन्ध में  
आस्था पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया  
है कि जहां कहीं "छेदेदारो" भूमि दर्ज हो उन व्यक्तियों को राजकीय भूमि पर  
अनाधिकृत कब्जेधारी मानते हुए राजस्थान भू-राजस्व श्रृंग प्रयोजनार्थ भू-आक्ट 1970  
नियम 1970 के अधीन नियमन के सम्बन्ध में जारी किए गए विभिन्न मौरात्रो के  
तहत ऐसी भूमि का नियमन करने को कार्रवाही की जाए ।

भवदीय,



शासन अधिकारी राजस्व